<u>के.रि.पु.बल परिवार कल्याण संघ, केरिपुबल, ब्लॉक नं0 1, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली– 110003.</u>

संख्या– डब्ल्यू .पॉच – 34/2019–सीडब्ल्यूए–कल्याण–दो   दिनांक 27 नवंबर, 2019

<u>सीडब्ल्यूए खेल–कूद छात्रवृत्ति</u>
(CWA SPORTS SCHOLARSHIP)

के.रि.पु.बल परिवार कल्याण संस्था (सीडब्ल्यूए) ''सार्थक सहयोग सर्वदा'' के आदर्श वाक्य के साथ एक पंजीकृत गैर सरकारी संगठन है जो शहीदों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों के परिवारों की देखभाल के लिए प्रतिबद्ध है, जो दूर के स्थानों और दुर्गम क्षेत्रों, जैसे–जम्मू–कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र, उत्तर पूर्व आदि में तैनात होकर देश की सेवा करने हेतु घर से दूर हैं। सीडब्ल्यूए का उद्देश्य के.रि.पु.बल कर्मियों के परिवारों का उत्थान और सहायता करना तथा उनकी समस्याओं को कम करना है।

2. पुलवामा की घटना के बाद सीडब्ल्यूए में विभिन्न संगठनों/गैर सरकारी संगठनों/व्यक्तियों से अत्यधिक मात्रा में दान/योगदान प्राप्त हुए हैं। दिनांक– 07/11/19 को आयोजित बैठक के दौरान, सीडब्ल्यूए के शासी निकाय और सीईसी सदस्यों ने केरिपुबल के सेवारत/सेवानिवृत्त/शहीद और मृतक कर्मियों के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक उपलब्धि हासिल करने वाले विजेताओं/प्रतिभागियों और राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में (स्वर्ण/रजत/कांस्य पदक) विजेताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ''सीडब्ल्यूए खेल छात्रवृत्ति'' (CWA SPORTS SCHOLARSHIP) नामक एक नई योजना बनाने का निर्णय लिया। इस योजना के माध्यम से हम के.रि.पु.बल के सेवारत/सेवानिवृत्त/शहीद और मृत कार्मियों के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में भाग लेने की तैयारी के लिए आवश्यकता के अनुसार वित्तीय सहायता भी प्रदान करेंगे। अंतराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में तैयारी के लिए वित्तीय सहायता की राशि के.रि.पु.बल परिवार कल्याण संघ (सीडब्ल्यूए) के शासी निकाय द्वारा तय की जाएगी।

इस योजना को चलाने के लिए पूरे भारत से जवानों के कल्याण के लिए प्राप्त दान में से रू0 50,00,000/– (रूपये पच्चास लाख) एक राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा किया जाएगा और इससे प्राप्त ब्याज का उपयोग इस योजना को चलाने में किया जाएगा।

3. सीडब्ल्यूए की पुस्तिका के पैरा–3(एफ) में उल्लिखित लक्ष्य और उद्देश्य ''सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों का आयोजन करना'' है। अतः इस योजना को लागू करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित जारी किया जाता है :–

i) <u>नाम</u> :–

ए) इस योजना को ''सीडब्ल्यूए खेल–कूद छात्रवृत्ति'' (CWA SPORTS SCHOLARSHIP) कहा जाएगा।

ii) **योजना का उद्देश्य** :–

ए) राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेश किए गए रू0 50,00,000/– की सावधि जमा से प्राप्त ब्याज राशि से के.रि.पु.बल के सेवारत/सेवानिवृत्त/शहीद और मृतक कर्मियों के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक विजेताओं/प्रतिभागियों को रू0 25,000/– और राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में (स्वर्ण/रजत/कांस्य पदक) प्राप्त करने वाले प्रत्येक विजेताओं को रू0 15,000/– की वित्तीय सहायता प्रदान करना।

- इस योजना के माध्यम से हम के.रि.पु.बल के सेवारत/सेवानिवृत्त/शहीद और मृत कार्मियों के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में भाग लेने की तैयारी के लिए आवश्यकता के अनुसार वित्तीय सहायता भी प्रदान करेंगे। अंतराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में तैयारी के लिए वित्तीय सहायता की राशि के.रि.पु.बल परिवार कल्याण संघ (सीडब्ल्यूए) की शासी निकाय द्वारा तय की जाएगी।

iii) **निधि निर्माण** :–

सीडब्ल्यूए निधि में से रू0 50,00,000/– एक राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा किया जाएगा और केवल इससे अर्जित ब्याज का ही उपयोग होगा। निधि का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित किया जाना है कि रू0 50,00,000/– का कोष अपरिवर्तित रहे और इससे सृजित ब्याज का उपयोग के.रि.पु.बल कर्मियों के खेल में विजेता प्राप्त करने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। यह योजना निधि की उपलब्धता और ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर काम करेगा।

iv) **अभिलेखों का रखरखाव** :–

खाता का रख–रखाव सीडब्ल्यूए की मौजूदा रोकड़ बही के माध्यम से किया जाएगा और इसके उचित लेखांकन के लिए ''सीडब्ल्यूए खेल छात्रवृत्ति'' (CWA SPORTS SCHOLARSHIP) योजना के नाम पर एक अलग पंजिका बनायी जाएगी।

v) **पात्रता** :–

के.रि.पु.बल के सेवारत/सेवानिवृत्त/शहीद और मृतक कर्मियों के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक विजेताओं/प्रतिभागियों को रू0 25,000/– और राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में (स्वर्ण/रजत/कांस्य पदक) प्राप्त करने वाले प्रत्येक विजेताओं को रू0 15,000/– की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

vi) **आवेदन कैसे करें** :–

योग्य खेल विजेताओं (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) के माता–पिता संबंधित आरसीडब्लयूए/कार्यालय/संस्थान के माध्यम से अध्यक्ष, सीडब्ल्यूए को परिशिष्ट–''ए'' में संलंग्न प्रारूप में संक्षिप्त विवरण के साथ प्रमाण पत्र की प्रति और ट्रॉफी/पदक की तस्वीर के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद, आरसीडब्ल्यूए/कार्यालय/संस्थान योग्य और वास्तविक उम्मीदवारों के आवेदन

उनके संबंधित ग्रु.के./संस्थान के माध्यम से वर्ष में एक बार 31 दिसंबर तक आवश्यक रूप से भेज देंगे। ताकि निधि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष के भीतर किया जा सके।

जरूरतमंद खेल उपलब्धि प्राप्तकर्ता के माता–पिता उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में भाग लेने की तैयारी के लिए योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीईसी की बैठक में केस टू केस (मामला दर मामला) के आधार पर सहायता की राशि तय की जाएगी।

vii) <u>प्रबंध समिति को शक्तियॉ</u> :–

सीडब्ल्यूए की शासी निकाय जिसमें 6 सदस्य शामिल हैं, इस मामले को हर वर्ष 31 जनवरी से पहले सर्वोच्च प्राथमिकता पर तय करेगी ताकि उसी वित्तीय वर्ष में निधि वितरित किया जा सके। नियम में संशोधन करने की शक्ति अध्यक्ष, सीडब्ल्यूए की अनुमोदन के साथ सीडब्ल्यूए की शासी परिषद के रहेगी।

viii) <u>निधि का वितरण</u> :–

विजेताओं के माता–पिता के खाते में निधि संवितरित की जाएगी और संबंधित आरसीडब्ल्यूए/संस्थान राशि का प्रेषण सुनिश्चित करेगा।

4. तद्नुसार, सभी संबंधितों से अनुरोध है कि इन आदेशों का पालन करें।

6. इसे अध्यक्ष, सीडब्ल्यूए के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता0 27/11/19
(डॉ0 मनु भटनागर)
<u>अध्यक्ष, सीडब्ल्यूए</u>

संख्या– डब्ल्यू. पॉच – 34/2019–सीडब्ल्यूए–कल्याण–दो दिनांक – 27 नवंबर, 2019

प्रतिलिपि प्रेषित है :–

1. विशेष महानिदेशक, जम्मू व कश्मीर अंचल, जम्मू, मध्य अंचल कोलकाता, उत्तर पूर्व अंचल, गुवाहाटी एवं दक्षिण अंचल, केरिपुबल, हैदराबाद।
2. महानिरीक्षक –पश्चिमोत्तर सेक्टर/दक्षिणी सेक्टर/मध्य प्रदेश सेक्टर/ पश्चिमी सेक्टर/पूर्वी सेक्टर/बिहार सेक्टर/उत्तरी सेक्टर/उत्तर पूर्व सेक्टर/कोबरा सेक्टर/मध्य सेक्टर/मणिपुर एवं नागालैंड सेक्टर/श्रीनगर सेक्टर/जम्मू सेक्टर/ त्रिपुरा सेक्टर/द्रु.का.बल सेक्टर/राजस्थान सेक्टर/पश्चिम बंगाल सेक्टर/ओड़िसा सेक्टर/झारखंड सेक्टर/छत्तीसगढ़ सेक्टर/ऑप्स कश्मीर सेक्टर/ऑप्स जोरहाट सेक्टर, के.रि.पु.बल।
3. महानिरीक्षक/प्राचार्य आंतरिक सुरक्षा अकादमी, माउंट आबू/ केरिपुबल अकादमी, कादरपुर, के. रि.पु.बल।
4. सभी संयुक्त अस्पतालों के महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, केरिपुबल।
5. सभी ऑप्स/सिगनल/प्रशिक्षण संस्थान/पीडीजी सहित सभी रेंजों के उप महानिरीक्षक, केरिपुबल।
6. सभी ग्रुप केन्द्रों/के.ह.भंडारों के उप महानिरीक्षक, केरिपुबल।

7. सिग्नल / द्रु.का.बल / कोबरा / एसडीजी / पीडीजी बटा0 के कमांडेंट सहित सभी बटालियनों के कमांडेंट, केरिपुबल।

हस्ता0 27 / 11 / 19
(डॉ0 मनु भटनागर)
अध्यक्ष, सीडब्ल्यूए

आंतरिक :–

महानिदेशक के स्टॉफ अधिकारी एवं वरिष्ठ निजी सचिव।
विशेष महानिदेशक (प्रशिक्षण / निर्माण) के वरिष्ठ निजी सचिव।
अपर महानिदेशक (मुख्यालय / कार्मिक / ऑप्स / चिकित्सा) के उप कमा0 / सहा0 कमा0 निजी सचिव।
महानिरीक्षक–(प्रशा0 / कार्मिक / संचार / निर्माण / ऑप्स / आसूचना / संभरण / प्रशिक्षण / स्थापना / निदेशक(चिकित्सा) / वित्तीय सलाहकार) के निजी सचिव।
उप महानिरीक्षक (प्रशा0 / कल्याण / निर्माण / विधि / ऑप्स–1 / 2 / कार्मिक / गोप0 एवं सतर्कता / स्थापना / संगठन / भर्ती / प्रशिक्षण–1 / 2 / तकनीकी / आई.टी. / उपकरण / संचार / संभरण / मोटर परिवहन एवं आयुध / आसूचना / सीएसओ / सीपीसी उप वित्तीय सलाहकार)
कमांडेंट (कल्याण / स्पेशल सेल / विधि / स्थापना / ऑप्स–1 एवं 2 / / आसूचना / संभरण / पीओएल / वीआईपी सुरक्षा / आर्किटेक्ट) सहा0 निदेशक (लेखा)
महानिदेशालय के सभी शाखाओं को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु।

परिशिष्ट – ''ए''

सी.डब्ल्यू.ए खेल योजना छात्रवृत्ति के लिए आवेदन

1.	बल संख्या, पद व कार्मिक का नाम	:	
2.	कार्यालय / यूनिट	:	
3.	बच्चे का नाम और जन्म तिथि	:	
4.	खेल का विवरण	:	
5.	अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में उपलब्धि / भागीदारी का विवरण	:	
6.	राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में उपलब्धि का विवरण (स्वर्ण / रजत / कांस्य पदक)	:	
7.	प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रति : 1. अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में उपलब्धि 2. अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में भागीदारी 3. राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में उपलब्धि	:	
8.	आरसीडब्ल्यूए प्रमुख / कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सिफारिश	:	